न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 07/2020

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
हीरसिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति राजपुरोहित निवासी डोली राजगुरो तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत डोली कला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 2. करनाराम पुत्र खूमाराम जाति प्रजापत निवासी डोली राजगुरो तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 09 मिसल सं. 01/2018–19 दिनांक 05.02.2019 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत डोली कला द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 27.10.2021

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत डोली कला द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम डोली राजगुरो मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 09 दिनांक 05.02.2019 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 2700 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत डोली कला द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत डोली कला का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत डोली कला द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित नियम 157(1) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जिस विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया हैं उस पर अप्रार्थी कोई मकान बना हुआ नहीं हैं तथा मौके पर भूमि खाली पड़ी हैं। विवादित भूमि रोड़ के समानान्तर स्थित हैं जिसे ग्राम पंचायत द्वारा कोडियों के भाव में अप्रार्थी के नाम कर दिया गया हैं। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत खाली भूमि का पट्टा किसी भी दशा में अप्रार्थी के नाम जारी नहीं किया जा सकता हैं तथा इस बिन्दु पर ग्राम पंचायत द्वारा भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक अनियमितता की गई हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख किस खसरे की भूमि का जारी किया गया हैं अंकित नहीं किया हैं न ही पंचायत के पुष्टि आदेश का विवरण अंकित किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आबादी भूमि के विक्रय सम्बन्धी जो नियम बने हुए हैं उन नियमों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई हैं तथा पंचायत कार्यालय में ही बैठकर तमाम खानापूर्ति की हैं जो पत्रावली देखने से ही स्पष्ट हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व न तो कोई महत्वपूर्ण सर्वे रिपोर्ट मंगाई हैं एवं न कोई कब्जे एवं आधिपत्य की रिपोर्ट मंगवाई हैं। अप्रार्थी के आवेदन पत्र के गवाहों के छपे–छपाये बयानों मे खाना पूर्ति करके पत्रावली में संलग्न कर दिय गये हैं तथा आनन–फानन में पट्टा जारी कर दिया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने में गम्भीर अनियमिततायें की हैं जो आलौच्य पट्टे में बार–बार कांट–छांट कर पडौस बदले गये तथा कब्जे के प्रमाण स्वरूप जो बिजली का बिल पेश किया गया हैं वह अन्य किसी नाम का हैं। इस विवादित भूखण्ड के एक तरफ डामर सड़क हैं तथा एक तरफ कटाण रास्ता है जिससे यह कीमती भूखण्ड सार्वजनिक नीलामी के द्वारा ही विक्रय किया जाना चाहिए था जिससे ग्राम पंचायत को अच्छी आय हो सकती थी। अप्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे [illegible] को भी बंद करने की कोशिश की जा रही हैं जो मुख्य [illegible] आबादी से जोड़ता हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही [illegible] द्वारा की जाकर आलौच्य पट्टा विलेख जारी किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत डोली कला

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा मिसल संख्या 139/05.06.2018 में पट्टा सं. 09 दिनांक 05.02.2019 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

4. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों की जांच हेतु ग्राम विकास अधिकारी से मौका–कब्जा की रिपोर्ट तलब की जाकर अवलोकन किया गया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है, जो पुराने कब्जों के नियमितीकरण के लिये जारी किया जाता हैं जबकि विवादित भूखण्ड मौके पर खाली है तथा अप्रार्थी सं. 2 का कोई मकान या रहवासीय आधिपत्य नहीं हैं साथ अप्रार्थी सं. 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। इसके अलावा यह भी प्रकट किया हैं कि नियम 157(1) की सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन से पाया जाता हैं कि आवेदित भूखण्ड के मौका निरीक्षण प्रपत्र में जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं उनमे से नृसिंह पुत्र देरामसिंह ने अपने हस्ताक्षर होने से इंकार करते हुए उक्त प्रपत्र फर्जी तैयार किया जाना सशपथ अभिकथित किया हैं। इसके अलावा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने के नोटिस पर जिन मौतबिरान के हस्ताक्षर अंकित है उन साक्षियों बाबूलाल पुत्र लूणाराम व जबराराम पुत्र प्रतापराम ने भी अपने हस्ताक्षर नहीं होना शपथ–पत्र के द्वारा कथन किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पुराने के कब्जे के सत्यापन के समर्थन में जिस व्यक्ति का शपथ–पत्र संलग्न किया गया हैं उस व्यक्ति भंवरसिंह पुत्र धोकलसिंह ने भी इस न्यायालय के समक्ष शपथ–पत्र के द्वारा इंकार किया गया हैं तथा प्रकट किया हैं कि मैने उक्त पट्टे संबंधी पत्रावली पर पडौसी होने का कोई शपथ–पत्र नहीं दिया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलौच्य पट्टा अन्तर्गत भूखण्ड पर अप्रार्थी पुराने कब्जे एवं मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट ग्राम विकास अधिकारी से तलब की गई। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं उसमें भूखण्ड के माप एवं पडौस की स्थिति का दर्शाया गया हैं जबकि मौके पर किस प्रकार का निर्माण या आधिपत्य है ऐसी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई हैं। ग्राम पंचायत की पत्रावली में अप्रार्थी सं. 2 के पुराने आधिपत्य का जो साक्ष्य दस्तावेज बिजली का बिल संलग्न किया गया हैं वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम का हैं जिसके संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी का कथन हैं कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उक्त बिजली कनेक्शन विवादित भूखण्ड पर नहीं होकर अन्यत्र स्थान का हैं। इसके अलावा अप्रार्थी का इस भूखण्ड पर कोई पुराना कब्जा होने का कोई प्रमाण दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हैं। ग्राम पंचायत की ओर से जो सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस नियम 148(2) के तहत जारी किया गया हैं उस पर जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित हैं उनके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक इंकार किया गया हैं इससे उक्त नोटिस संदिग्ध हो जाता हैं। इसके अलावा आलौच्य पट्टा विलेख राष्ट्रीय उच्चमार्ग सड़क पर दिया गया हैं जिसके लिये मध्यरेखा से 150 फीट छोड़ कर जारी किया जाना आवश्यक होता हैं जबकि आलौच्य पट्टा विलेख आरेख अनुसार 132 फीट पर जारी किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के नियमितीकरण हेतु विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना राष्ट्रीय उच्चमार्ग सड़क की निर्धारित सीमा रेखा के अन्दर अनियमित एवं अपूर्णय कार्यवाही द्वारा आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में इस पुराने कब्जे के बिन्दु की जांच में पूर्णतया अनियमितता बरती गई हैं, लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता एवं अपूर्णता के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत डोली कला द्वारा बैठक दिनांक 20.01.2019 के संकल्प सं. 03 के तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 09 दिनांक 05.02.2019 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत डोली कला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि दोनो पक्षों को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विवादित भूखण्ड पर कब्जे व स्वामित्व की पूर्ण जांच कर राष्ट्रीय उच्चमार्ग सड़क की निर्धारित सीमा रेखा को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का नये सिरे से निस्तारण करें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:17 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर